सिर्फ मैडिकल डिविज़न की बात करें तो सेना में 8,129 अधिकारियों की कमी है

अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए सेना सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनः नियोजित करने पर विचार कर रही है। मतबल कि, ब्रिगेडियर और कर्नल जैसे पदों की व्यवस्था पुनः चालू हो सकती है

- **इसके अलावा सेना ने अपने सभी डिवीज़न मुख्यालयों में तैनात मेजर रैंक के अधिकारियों को पुनः सेना मुख्यालय में पोस्ट करने का आदेश दिया है।**

नई दिल्ली, 3 जुलाई। भारतीय सेना मेजर और कैप्टन स्तर के अधिकारियों की भारी कमी का सामना कर रही है। इस संकट से निपटने के लिए सेना विभिन्न मुख्यालयों में अफसरों की पोस्टिंग रद्द कर उसे आर्मी यूनिट में भेजने की योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा ऐसे पदों पर पुन: नियोजित अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार चल रहा है। सेना ने हाल ही में प्रस्तावित कदम की व्यवहार्यता पर विभिन्न कमांडों से जानकारी मांगी है।

मौजूदा व्यवस्था में मेजर रैंक के मध्य स्तर के अधिकारियों को लगभग छ: साल की सेवा पूरी होने पर विभिन्न कोर, कमांड और डिवीजन मुख्यालय में नियुक्तियों के लिए पहला अनुभव दिया जाता है। मुख्यालयों में इनकी पोस्टिंग इसलिए होती है ताकि अधिकारी वहां रहकर विभिन्न विषयों की नीति-रीति समझें और समन्वय को संभालें, जबकि यूनिटों में अफसरों की नियुक्ति का मतलब मोर्चे पर कार्यों का जमीनी संचालन से होता है। हेडक्वार्टर में स्टाफ नियुक्तियों का अनुभव उन्हें उनकी सेवा के दौरान बाद की कमांड नियुक्तियों के लिए तैयार करता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल सेना में आर्मी मैडिकल कोर और आर्मी डेंटल कोर समेत 8,129 अधिकारियों की कमी है। इसके अलावा नौसेना और भारतीय वायु सेना में क्रमश: 1,653 और 721 अधिकारियों की कमी है। अधिकारियों की इस कमी को ध्यान में रखते हुए, सेना ने पहले जहां भी संभव हो, कुछ कर्मचारियों की नियुक्तियों में 461 गैर-सूचीबद्ध अधिकारियों को तैनात किया है।

मौजूदा संकट से निपटने के लिए हेडक्वार्टर में तैनात कर्मचारियों की कुछ नियुक्तियों में अस्थायी रूप से कटौती का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के मुताबिक, कनिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारी, जो वर्तमान में विभिन्न मुख्यालयों में तैनात हैं, 24 महीने का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें बिना किसी राहत के यूनिट में भेज दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, इसके अलावा सेना पुन: नियोजित अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति पर भी विचार कर रही है। पुन: नियोजित अधिकारी वे होते हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद दो से चार साल तक सेना में सेवा करते हैं और ब्रिगेडियर और कर्नल के पद पर तैनात होते हैं।

सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को सेना में अधिकारियों की कमी से निपटने के लिए फिर से नियोजित किया जाता है। वे अपने सेवानिवृत्त रैंक से नीचे की रैंक में काम करते हैं। पुन: नियोजित अफसर के तौर पर अधिकांश कर्नल और ब्रिगेडियर के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल के पद पर सेवा देते हैं, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले बहुत कम लोगों को मेजर के लिए नियुक्तियां मिलती हैं।

सांसद निधि की एक पाई भी खर्च नहीं की हरिवंश ने

नई दिल्ली, 3 जुलाई। पटना के दो सांसद और सात राज्यसभा सदस्यों में से कई ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमपी लैड) की राशि का तेजी से इस्तेमाल किया तो कुछ इस मामले में पीछे हैं।

दो-तीन सांसद के पास निधि के करोड़ों रुपये पड़े हैं। बिना स्वीकृति वाली राशि भी काफी शेष बची है। इनमें वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2022-23 तक में आवंटित राशि और उनका खर्च शामिल है।

पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद ने सांसद निधि खर्च करने में सबसे आगे हैं। उनके पास सांसद फंड में महज पांच लाख शेष हैं। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव के पास 3.21 करोड़ राशि शेष पड़ी है। पटना के कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुंगेर सांसद ललन सिंह ने भी खर्च करने में कोताही नहीं बरती है। उनके पास अब मात्र नौ लाख बचे हैं।

राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो राशि खर्च करने में सबसे पीछे हरिवंश का नाम है। उन्होंने केंद्र से मिली राशि का एक पाई उपयोग नहीं किया है। जबकि सुशील कुमार मोदी और विवेक ठाकुर भी खर्च करने में धीमे चल रहे हैं।

हाई कोर्ट का "अजमेर 92" फिल्म के प्रदर्शन पर रोक से इन्कार

- **राजस्थान हाई कोर्ट ने यह आदेश देते हुए अंजुमन मोइनिया, दरगाह शरीफ व अन्य द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।**
- **याचिकाकर्ताओं का कहना था कि, फिल्म के प्रदर्शन से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि, इसमें दरगाह शरीफ की छवि को धूमिल नहीं किया गया है।**

जयपुर, 3 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर में स्कूल और कॉलेज जाने वाली दर्जनों लड़कियों से हुए दुष्कर्म को लेकर बनाई गई अजमेर 92 फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अंजुमन मोइनिया, फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब, दरगाह शरीफ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया था कि, फिल्म के ट्रेलर में घटना को सिर्फ अजमेर दरगाह और चिश्ती समुदाय के लोगों से जोड़कर दिखाया जा रहा है। ट्रेलर देखने से लगता है कि घटना अजमेर दरगाह में हुई है और इसके सभी आरोपी चिश्ती समुदाय के ही लोग हैं। जबकि वास्तव में सच्चाई यह है कि, आरोपियों में से सिर्फ दो लोगों के सरनेम चिश्ती हैं। ऐसे में 14 जुलाई को रिलीज हो रही इस फिल्म का सिनेमाघरों और ओ.टी.टी. प्लेटफार्म पर प्रदर्शन रोका जाए। याचिका में यह भी मांग की कि, फिल्म के रिलीज होने से पहले हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए। जिसमें केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, याचिकाकर्ता और उसके वकील को शामिल किया जाए। यह कमेटी सुनिश्चित करे की फिल्म के दृश्यों और संवाद में दरगाह शरीफ के साथ ही कोई अपमानजनक व आपत्तिजनक सामग्री को नहीं दिखाया गया है। इसके साथ ही फिल्म या उसके प्रमोशन में दरगाह, दरगाह की रस्मों और चिश्ती सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी भी चीज को गलत रूप से नहीं दिखाया गया है व दरगाह की छवि को धूमिल भी नहीं किया गया है। याचिका के जवाब में भारत सरकार के एएसजी आरडी रस्तोगी ने कहा कि, यह याचिका अदालत में चलने योग्य नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले का निस्तारण होकर अभियुक्तों को सजा हो चुकी है। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत केन्द्र सरकार को ऐसे मामलों में पुनरीक्षण करने की शक्ति भी मिली हुई है। याचिकाकर्ता यह बताने में भी विफल रहा है कि, इस फिल्म के प्रसारण से उनके व्यक्तिगत हितों को कैसे नुकसान होगा। इसलिए याचिका खारिज की जाए।

दोनों पक्षों को सुनकर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर आदिपुरुष फिल्म के प्रदर्शन के खिलाफ बालमुकुंदाचार्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टल गई है। समान मामले में प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई टाल दी है।

रेलवे में नौकरी घोटालों के मामले में पूरा लालू परिवार सी.बी.आई. की जद में आयेगा

सी.बी.आई. ने लालू, राबड़ी व तेजस्वी यादव के खिलाफ फ्रैश चार्जशीट दाखिल की

- **अब इस मामले में दिल्ली की राऊज़ एवेन्यू कोर्ट में आगामी 12 जुलाई को सुनवाई होगी।**

पटना, 3 जुलाई। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सी.बी.आई. ने एक नए जोन में लालू, रावड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मीडिल मैन समेत कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ नयी चार्जशीट दाखिल की है। इससे पहले लालू यादव और रावड़ी देवी के खिलाफ चार्जशीट (आरोपपत्र) दायर की जा चुकी है। वहीं इससे पहले इसी मामले में सी.बी.आई. ने 16 मई को देशभर में कई जगहों पर छापे मारे थे। सी.बी.आई. की कई टीमों ने पटना, आरा, भोजपुर, दिल्ली, गुरुग्राम समेत 9 जगहों पर छापे मारे थे।

जानकरी के अनुसार, सी.बी.आई. ने जो चार्जशीट दाखिल की है, वह ये एक फ्रैश चार्जशीट है। यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीडिल मैन, अलग-अलग तत्कालीन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ फ्रेश चार्जशीट दाखिल हुई है। इससे पहले लैंड फॉर जॉब के एक अलग जोन में लालू और राबड़ी के खिलाफ चार्जशीट अलग दाखिल हो चुकी है। इस मामले में वो जमानत पर हैं। अब तीनों के खिलाफ फ्रेश चार्जशीट दाखिल की गई है। अब इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में 12 जुलाई को कोर्ट में फ्रेश चार्जशीट पर सुनवाई होगी।

यह कथित घोटाला उस समय हुआ था, जब लालू यादव 2004-09 की अवधि के दौरान केंद्र यू.पी.ए.-1 नीत सरकार में रेल मंत्री थे। सी.बी.आई. का आरोप है कि भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह डी के पदों पर विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और इसके बदले में संबंधित व्यक्तियों ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों को और इस मामले में लाभार्थी कंपनी एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को अपनी जमीन हस्तांतरित की थी।

'विपक्ष की बैठक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विद्रोह से विचलित नहीं है और वे जनता के बीच जाकर पुन: शुरूआत करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है उनको उनकी जगह दिखा दी जाएगी।

पवार ने आज कराड में कहा, "साम्प्रदायिक शक्तियों से मेरी लड़ाई आज आरंभ हो रही है। उन्होंने भाजपा पर समाज में भय फैलाने का भी आरोप लगाया। बाद में सतारा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरद पवार ने यह भी कहा कि, कुछ नेताओं की गतिविधियों की परवाह किए बिना उन्होंने पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए राज्य व्यापी दौरे का कार्यक्रम बनाया है।

जब यह पूछा गया कि क्या रविवार को हुए अजीत पवार के विद्रोह को उनका वरदहस्त है तो उन्होंने कहा, "यह ओछी बात है। ओछी और हल्की बुद्धि वाले लोग ही ऐसा कह कह सकते हैं। मुझे राज्य का दौरा कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है। कुछ नेताओं ने जो किया है उससे उन्हें हताश नहीं होना चाहिये।"

शरद पवार सोमवार को पुणे से कराड पहुंचे और रास्ते में समर्थकों से मिलने गए जो सड़क किनारे खड़े थे।

कराड में शरद पवार का हजारों समर्थकों तथा स्थानीय विधायक बाला साहब पाटिल ने स्वागत किया। विधायक मकरंद पाटिल ने भी कराड में शरद पवार का स्वागत किया जबकि वे शपथ ग्रहण से पूर्व अजीत पवार के बंगले पर मौजूद थे। शरद पवार के साथ तनावपूर्ण संबंध होने के बावजूद कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण भी इस संकट में विपक्षी एकता प्रदर्शित करने के लिए मौजूद थे।

उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के 400 विशेषज्ञों को नौकरी से हटाया

- **केजरीवाल सरकार ने विभिन्न विभागों में इन विशेषज्ञों की नियुक्ति की थी। उपराज्यपाल के इस फैसले से दोनों पक्षों के बीच टकराव और बढ़ने की पूरी संभावना है।**
- **उपराज्यपाल ने अपने आदेश में कहा कि, इन नियुक्तियों में आरक्षण आदि व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया गया था, नियुक्तियां मनमुताबिक कर दी गईं थीं और किसी सक्षम अधिकारी से मंजूरी नहीं ली गई थी।**

नई दिल्ली, 3 जुलाई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अक्सर सरकार और उपराज्यपाल के टकराव की ख़बरें आम हो चुकी हैं।

दोनों पक्षों के बीच टकराव होता ही रहता है। कभी सरकार एल.जी. के द्वारा पारित किसी फैसले पर सवाल उठाती है तो कभी एल.जी.।

अब एक बार से सरकार और एल.जी. के बीच टकराव होने की आशंका जताई जाने लगी है।

दरअसल उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्त करीब 400 विशेषज्ञों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इस फैसले से उपराज्यपाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है।

उपराज्यपाल कार्यालय ने एक बयान में कहा कि ये विशेषज्ञ गैर-पारदर्शी तरीके से और सक्षम प्राधिकारी की अनिवार्य मंजूरी के बिना नियुक्त किए गए थे।

एल.जी. कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि नियुक्तियों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया।

बयान में कहा गया, "दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न विभाग एवं एजेंसियों में फेलो/सलाहकार/उप सलाहकार/ विशेषज्ञ/वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/सलाहकार आदि के रूप में नियुक्त लगभग 400 निजी व्यक्तियों की सेवाओं को तुरंत समाप्त करने के सेवा विभाग के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है।

बिहार में भी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सभापति को सचेत कर दिया है कि वे एन.सी.पी. के ऐसे किन्हीं भी नेताओं को डिसक्वालिफाई करने की शरद पवार गुट की किसी दलील को स्वीकार नहीं करें, जो एन.सी.पी. के उस बहुसंख्यक गुट के साथ चले गये हैं, जिसने महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने का निर्णय ले लिया है, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत हो सके।

जिन लोगों के खिलाफ, पार्टी - विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आधार पर डिसक्वालिफिकेश के लिये जारी हो सकता है, वे हैं -- एन.सी.पी. के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल तथा लोकसभा सांसद सुनील तटकरे, जो जयन्त पटेल के स्थान पर महाराष्ट्र एन.सी.पी. के नये अध्यक्ष बना दिये गये थे।

प्रफुल्ल पटेल ने सोमवार को बड़ा उलझन भरा संकेत देते हुये कहा था कि शरद पवार ही एन.सी.पी. प्रमुख हैं तथा 2-3 दिन में सब कुछ साफ हो जायेगा। लेकिन पवार, प्रफुल्ल के इस बयान से भ्रमित नहीं हुये हैं तथा उन्होंने अपनी पुत्री तथा एन.सी.पी. के कार्यकारी अध्यक्षों में से एक, सुप्रिया सुले से कह दिया कि वे पटेल और तटकरे को पार्टी से निष्कासित कर दें तथा संसद से उन्हें डिसक्वालिफाई किये जाने की मांग करें।

'विज्ञापनों के लिए पैसा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सूचना मांगी।

फंड का आवंटन राष्ट्रीय राजधानी को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ने वाले आर.आर.टी.एस. के टुकड़े के लिए दिया गया था। एस.के. कौल और सुधांश धूलिया की सुप्रीम कोर्ट बैंच ने दिल्ली की आप शासित सरकार को निर्देश दिए कि इस फंड की सूचना दो सप्ताह में शपथ पत्र के साथ उपलब्ध करवाए।

कोर्ट ने इस निर्माण के लिए आवंटित धन का रिकॉर्ड न दे पाने के लिए सरकार पर प्रश्न उठाया था।

कोर्ट ने पूछा, "अगर आपके पास विज्ञापन के लिए पैसा है तो इस परियोजना में के लिए क्यों नहीं है, जिससे परिवहन बेहतर हो सकेगा।

बैंच ने कहा, "दिल्ली सरकार ने साझा परियोजना में फंड देने में असमर्थता जताई है। चूंकि धन की कमी इस परियोजना में रूकावट है इसलिए हम राष्ट्रीय राजधानी अधिकरण को निर्देश देते हैं कि वह विज्ञापनों में उपयोग किए हुए फंड पर एक शपथ पत्र पेश करें क्योंकि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। गत तीन वित्तीय वर्षों की सूचना दी जाए।" दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिस सिस्टम एक अर्द्ध उच्च गति का रेल कॉरीडोर है, जिसका अभी निर्माण हो रहा है। इस कॉरीडोर से दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद जुड़ेंगे। यह रैपिड एक्स परियोजना के पहले चरण में लक्षित तीन रैपिड रेल कॉरीडोर में से एक है।

नई काया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिये आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। अब अदालत में, आधुनिक किस्म की टैक्नोलॉजी तथा बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तथा कागजों की फाइलों के बोझ पर निर्भरता कम हो गई है।

इन आधुनिक एवं अद्यतन कक्षों में अब डिजिटल स्क्रीन, वाइ-फाइ कनैक्टिविटी, उन्नत किस्म की वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग सुविधाएं तथा पहले से काफी ज्यादा इन्टर कोर्ट कनैक्टिविटी दिखाई दे रही है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ ने सोमवार की सुबह नये सैट-अप को लेकर खुशी जताई एवं मंगल कामना व्यक्त की तथा जोर देते हुए कहा कि अब अदालत के कक्षों से कागजी दस्तावेज तथा किताबें हट जाने के बाद, वकीलों के लिये ज्यादा खाली जगह उपलब्ध हो गई है।

इससे पहले, 1950 के दशक तक की किताबें एवं दस्तावेज अदालती कक्षों के दोनों तरफ अलमारियों में रखे हुए थे तथा इस प्रकार, अंदर वकीलों के खड़े होने के लिये बहुत कम जगह बचती थी।

सी.जे.आई. ने स्पष्ट किया कि किताबें एवं अन्य दस्तावेज अदालत कक्षों के बाहर जाकर पहुंचा दिये गये हैं, लेकिन वे आगे भी विश्वसनीय तो बने ही रहेंगे, काम में तो आते ही रहेंगे।

पूरा मानसून सत्र पुराने संसद भवन में ही सम्पन्न होगा

केन्द्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने स्पष्ट किया कि, न्यू पार्लियामैंट बिल्डिंग में अभी मानसून सत्र की एक भी बैठक नहीं की जायेगी

नई दिल्ली, 3 जुलाई। संसद का मॉनसून सत्र इस बार पुराने संसद भवन में ही होगा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने राजधानी नई दिल्ली में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही। हालांकि, इससे पहले यह जरूर चर्चा थी कि मॉनसून सेशन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में हो सकता है।

सूत्रों के अनुसार यह भी कहा जा रहा था कि सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में होगी और बाद में नए संसद भवन में बैठक हो सकती है। मगर, सोमवार को मीनाक्षी लेखी ने संसद भवन को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है।

मालूम हो कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शनिवार को यह जानकारी दी थी। जोशी ने ट्वीट किया, मानसून सत्र, 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य काम-काज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं।

संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है क्योंकि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। वहीं, पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता की वकालत करने के बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी कुछ विपक्षी दल केंद्र सरकार को मॉनसून सत्र के दौरान घेरने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं, कई दल यूसीसी के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं।

प्र.मंत्री मोदी ने चार घंटे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कारण बन सकती है।

बताया जाता है कि यह निर्णय लेने से पहले कि किन मंत्रियों को हटाया जाये या संगठन में या राज्यों में जिम्मेदारियाँ दी जायें, प्रधानमंत्री ने यहाँ सोमवार की रात को केन्द्रीय मंत्रियों के कार्य-निष्पादन पर चर्चा हुई। लेकिन वे अजीत को लेकर चिन्तित थे क्योंकि उनके पास विधायकों की वांछित संख्या नहीं है। यह एक "फॉलो-अप" मीटिंग थी क्योंकि इससे पूर्व, 28 जून को एक उच्चस्तरीय मीटिंग ले चुके थे। उस मीटिंग में, अन्य वरिष्ठ नेताओं के अतिरिक्त अमित शाह तथा भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी मौजूद थे। उस मीटिंग में संगठनात्मक एवं राजनैतिक मामलों का जायजा लिया गया था।

भाजपा उन राज्यों, जहाँ इस साल चुनाव होने हैं, को लेकर जबरदस्त तैयारियाँ कर रही है। इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तेलंगाना तथा मिजोरम में चुनाव होने हैं।

पार्टी बिहार में जनता दल (यू) को विभाजित करने की दिशा में भी काम कर रही है जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संकट में आ जायें तथा उन विपक्षी दलों की तैयारियों में खलल पड़ जाये, जो मोदी सरकार को बेदखल करने के लिये संगठित होकर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिये इकट्ठे हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल व भाजपा संगठन में फेरबदल की रुप-रेखा को अपने तक ही रखा। उन्होंने मंत्रियों के विचार जाने, लेकिन यह नहीं बताया कि उनके मन में क्या है।

भाजपा सूत्रों ने कहा, मंत्रिमंडल की अधिकतर सीटें सहयोगी पार्टियों को दी जा सकती हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे ग्रुप वाली शिवसेना एवं भारत राष्ट्र समिति ऑफ तेलंगाना के लोग हो सकते हैं।

पार्टी सूत्रों ने कहाकि, कुछ वरिष्ठ पार्टी नेताओं को संगठन में जिम्मेवारी दी जा सकती है तथा उनसे लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा जा सकता है।

शराब व्यापारी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं। जैसे देश नहीं छोड़ना, अपने घर और अस्पताल की सीमा नहीं छोड़ना।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित होकर कहा कि, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला "झटका देने वाला" है और गलत तथ्यों पर आधारित है।

बैंच ने कहा, "क्षमा चाहते हैं, 6 हफ्ते की जमानत के मामले में हम दखल नहीं देंगे। यह अवधि 10-15 दिन में खत्म हो जाएगी। अभियोजन के अनुसार आरोपी आबकारी नीति की अवहेलना का मुख्य लाभार्थी है क्योंकि न केवल वह शराब उत्पादन की इकाई चलाता है बल्कि अपने रिश्तेदारों के नाम होलसेल और रिटेल बिक्री के लाइसैंस भी ले रखे हैं। कथित अनियमितताओं के कारण महेन्द्रू ने करीब 50 करोड़ रूपए कमाए, ऐसा अभियोजन का कहना है। सी.बी.आई. और ई.डी. के अनुसार ये अनियमितताएं तब हुई जब आबकारी नीति में संशोधन किया जा रहा था और लाइसैंस धारकों को अनुचित लाभ दिए गए। दिल्ली सरकार ने यह नीति 17 नवम्बर 2021 को आंरभ की थी लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण सितंबर 2022 में समाप्त कर दी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मामले में आरोपी हैं।

सी.डब्ल्यु.सी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की लिस्ट एक सप्ताह में घोषित कर दी जाएगी। नए फार्मूला के तहत 50 प्रतिशत पद 50 साल से कम उम्र के नेताओं को दिए जाने है जिससे कई युवा नेताओं को अवसर मिलेंगे। पार्टी ने एक राज्य -एक प्रभारी के फार्मूला का अनुसरण करने का भी फैसला किया है। इस बार भी हमेशा की तरह सी.डब्ल्यू.सी. के चुनाव नहीं होंगे। क्योंकि 24-26 फरवरी को रायपुर में हुए महाधिवेशन में तय किया गया था कि खड़गे सी.डब्ल्यू.सी. के सभी सदस्यों को मनोनीत करेंगे।

पार्टी ने उक्त 85 वें महाधिवेशन में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., अल्पसंख्यकों व महिलाओं तथा 50 साल के कम उम्र के युवाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय भी किया गया था।

भाजपा चाहती है कि, यू.सी.सी. से देश के आदिवासी समुदायों को बाहर रखा जाये

- **आदिवासी बहुल पूर्वोत्तर राज्यों में यू.सी.सी. का संवैधानिक तौर पर विरोध हो सकता है, इसलिए भाजपा ऐसा निर्णय लेने पर विचार कर रही है।**
- **सोमवार को कानून व व्यवस्था मामलों की संसदीय समिति की बैठक हुई। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। सुशील मोदी ने बैठक में उत्तर-पूर्व और अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को यू.सी.सी के दायरे से बाहर रखने की वकालत की है।**

नई दिल्ली, 3 जुलाई। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यू.सी.सी.) को लेकर जारी बहस के बीच सोमवार को कानून व व्यवस्था मामलों की संसदीय समिति की बैठक हुई। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। सुशील मोदी ने बैठक में उत्तर-पूर्व और अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को किसी भी संभावित समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने की वकालत की है। वहीं, कांग्रेस और डी.एम.के. समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने आम चुनाव के मद्देनजर यू.सी.सी. को लेकर सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठाए। सूत्रों ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक, सभी बीजेपी नेताओं ने यू.सी.सी. का समर्थन किया।

कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि, यू.सी.सी. भारतीय संविधान के खिलाफ है। यह संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत कुछ पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों को दी गई कुछ गारंटी को नुकसान पहुंचाएगा। छठीं अनुसूची नामित आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाती है। विपक्षी नेताओं की इस दलील के जवाब में सुशील मोदी ने कहा, "आदिवासियों को छूट देने पर विचार किया जा सकता है।" बैठक में बताया गया कि, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में उनकी सहमति के बिना केंद्रीय कानून लागू नहीं होते हैं।

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा और डी.एम.के. सांसद पी. विल्सन ने बैठक में लिखित बयान पेश किए। उन्होंने यू.सी.सी. को अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव से जोड़ा। वहीं, शिवसेना और बसपा ने यू.सी.सी. का विरोध तो नहीं किया, लेकिन इसे सशर्त समर्थन दिया। दोनों पार्टियों का कहना था कि, आम चुनाव को ध्यान में रखकर यू.सी.सी. को नहीं लाया जाना चाहिए। के.सी.आर. की पार्टी बी.आर.एस. ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने भी यू.सी.सी. का समर्थन किया है।

मीटिंग में डिटेल सुझाव रिपोर्ट पेश किए गए। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने न तो यू.सी.सी. का समर्थन किया है और न ही सपोर्ट किया है यानी वो न्यूट्रल है। वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि, सरकार को यू.सी.सी. लागू करने के नतीजों पर बार-बार विचार कर लेना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून को भोपाल में बीजेपी के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देशभर में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने की वकालत की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता, भाजपा इस भ्रम को दूर करेगी।

समान नागरिक संहिता का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों को कई सुझाव दिए गए हैं।

इसी में से एक है समान नागरिक संहिता यह देश के हर नागरिक को विवाह, तलाक, गोद और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समान अधिकार देता है। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या समुदाय से हो, देश का कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। अभी अलग-अलग धर्म और समुदायों के व्यक्तिगत कानून हैं। आपराधिक कानून एक ही है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908